दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

वादीगण की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का इकबाल दावा प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 5 से 15 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश हुए। प्रतिवादी संख्या 5 ता 15 प्रकरण में

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

एकपक्षिय कार्यवाही जैरकार है। चुंकि वाद पत्र खाता विभाजन का है इसलिए समस्त पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक है अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्राथमिक डिकी किया जाता है एवं तहसीलदार पीलीबंगा को आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा चक 14 जेड.डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 16/12 के पत्थर नंबर 73/373 (21) किला नंबर 8, 9, पत्थर नंबर 74/372 (17) किला नंबर 16/1, 16/2, 17 से 24, 25/1, 25/2, पत्थर नंबर 74/373 (20) किला नंबर 1 से 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 से 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 से 20, पत्थर नंबर 75/372 (18) के किला नंबर 16 से 19, 20/2, 21/2, 22 से 25, पत्थर नंबर 75/373 (19) किला नंबर 1/2, 2 से 9, 10/2, 11/2, 12 से 19, 20/2, 21/2, 22 से 25 की कुल 16.775 हैक्टेयर कमाण्ड मय गैरमुमकिन व इसी चक के खाता संख्या 26/23 के पत्थर नंबर 73/372 (16) के किला नंबर 1/2, 2 ता 9, 10/2, 11/2, 12 से 19, 20/2, 21/2, 22 से 25, पत्थर नंबर 7/373 (21) किला नंबर 1/2, 2, 23, 10/2 कुल 7.162 है0 व चक 8 बीआरपी के खाता संख्या 43/42 के पत्थर नंबर 45/365 (33) किला नंबर 25/2, पत्थर नंबर 46/365 (34) के किला नंबर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 से 25 कुल 6.388 हैक्टेयर नाली द्वितीय मय गैरमुमकिन खाला व चक 4 एलबीएम के खाता संख्या 8/8 के पत्थर नंबर 46/366 (26) के किला नंबर 3/2, 4, 7, 8/1, 13/2, 14 कुल 1.139 है0 कमाण्ड व चक 15 जेड.डब्लयू.डी. के खाता सख्या 14/14 के पत्थर नंबर 71/370 (14) किला नंबर 1/2, 2 से 9, 10/2, 11/2, 12, 13 कुल 3.213 है0 कमाण्ड भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के कब्जा काश्त अनुसार अच्छी–मन्दी के एवं रास्ता–खाला की सहुलियत देखते हुए व कब्जा काश्त को प्राथमिकता देते हुए राजस्व नियम 18 ता 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें प्राथमिक डिकी जारी हो।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें प्राथमिक डिकी जारी हो।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
पीलीबंगा (हनुमानगढ़)